एफ0आई0आर0 (प्रथम सूचना रिपोर्ट) कैसे लिखाएं–

- यदि कोई भी पीड़ित महिला थाने में जाकर किसी भी अत्याचार अथवा हिंसा की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती है तो वह निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग कर सकती है।
- एफ0आई0आर0 रिपोर्ट दर्ज करवाते समय अपने किसी मित्र या रिस्तेदार को अपने साथ ले जाएं।
- एफ0आई0आर0 को स्वयं पढ़े या किसी विश्वस्त व्यक्ति से पढ़वाने के बाद ही उस पर हस्ताक्षर करें।
- एफ0आई0आर0 की एक प्रति मुफ्त में प्रदान की जाती है।

  इसे अवश्य लें।
- पुलिस द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज न किये जाने पर आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अथवा स्थानीय मजिस्ट्रेट से मदद मांगें।

महिला की गिरफ्तारी लेते समय ध्यान रखने योग्य बातें–

- अगर कोई महिला पुलिस की नजरों में गुनहगार है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है। तो वह निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग कर सकती है–
- गिरफ्तारी का कारण बताया जाय।
- गिरफ्तारी के समय हथकड़ी न लगाई जाए।
- हथकड़ी सिर्फ मजिस्ट्रेट के आदेश पर लगाई जा सकती है।
- महिला अपने वकील को बुलवा सकती है।
- महिला मुफ्त कानूनी सलाह की मांग कर सकती है।

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा, नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

महिला की गिरफ्तारी के बाद ध्यान रखने योग्य बातें–

- गिरफ्तारी के 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार महिला को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- गिरफ्तारी के समय महिला के किसी रिश्तेदार या मित्र को उसके साथ थाने में जाने दिया जाए।
- अगर पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले जाती है तो गुनहगार महिला को निम्नलिखित अधिकार है–
- ❑ गिरफ्तारी के बाद महिला को कमरे में मानवीयता के साथ रखा जाए। जोर–जबरदस्ती करना गैर कानूनी है।
- ❑ गिरफ्तार महिला की जॉच केवल महिला डाक्टर ही कर सकती है। पूॅछ–तॉछ केवल परिवार की उपस्थिति में ही की जाए। उसे थाने में या अन्य कहीं बुलाये जाने पर वह इन्कार कर सकती है।
- ❑ अपनी तलाशी से पहले वह महिला पुलिसकर्मी की तलाशी ले सकती है।